मथुरा
395/2015/223 आलम बनाम सलेमा वगै०

तारीख पेशी	2015/00143 बनाम रेस्पो० 2 अनुपस्थित हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री P.S. रावत, एड० अपी० श्री धानेश्वर शर्मा-1 RA 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31/10/2018	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित नहीं। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कई बार आवाजें दिलाई गई, किन्तु कोई भी उपस्थित नही हुए। अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील में एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध रूप से तथा प्रार्थी/अपीलांट की जानकारी के बगैर उनके वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटप्रेस में खारिज किया गया। अपीलार्थी को अभिभाषक श्री सलीम खॉ द्वारा कोई नोटिस एवं सूचना नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी हमेश अदालत में हाजिर रहा है परन्तु उस दिन अपीलार्थी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। लोक अदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय में अपीलार्थी के विरूद्ध जो एक तरफा आदेश पारित किया गया है विधि सम्मत नहीं है, जिसे निरस्त किया जावें। अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 21.07.2015 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु न्यायालय ने प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया और सूचना दी कि आपके अभिभाषक ने नोटप्रेस किया है इस कारण यह यहॉ नहीं चल सकता जिसकी नकल प्राप्त नहीं हो सकी है। इस कारण यह अपील देरीना से प्रस्तुत करने का उचित पर्याप्त व विधिक आधार अपीलार्थी के पास हैं। मियाद क्षम्य का प्रार्थना पत्र भी इस अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके उचित व पर्याप्त आधार हैं इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार अपील अन्दर मियाद की जावें। अतं में अनुरोध किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पुनः दर्ज करके, गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 833, 2011(2) पेज 1430 की नजीरे प्रस्तुत की। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। बाद मनन सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2015 व प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम अभिभाषक अपीलांट प्रस्तुत नजीरो से सहमत हैं कि मान्नीय उच्चतर न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यह कथन किया कि "वकील की गलत के कारण मामला खारिज तथा मुवक्किल पीड़ित नही होना चाहिए" एवं प्रकरण तकनीकि बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किया जावें। उक्त नजीरो पर हम सहमत है। अतः	निरन्तर----

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O.

395/2015/223 मजूदा

आलम बनाम सलेमा व अन्य

तारीख पेशी	2015/00143 **बनाम** हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत, एड. अपी. श्री धर्मेश्वर शर्मा -1 रेस्पो० 2 अनुपस्थित GA-3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
निरन्तर—	**अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2015, प्रकरण संख्या 07/15 को निरस्त किया जाता हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि प्रस्तुत प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलांट/ प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए निस्तारण करें। निर्णय एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	पी.आ.ना.बी. रा.का. कार्यालय के पत्र क्रमांक 2561 दि. 19/1/18 द्वारा L.C. का रेकार्ड लौटाया गया।